

कमांक 1/5/2014-3जी0ई0

प्रेषक

अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार,
गृह विभाग।

सेवा में

1. सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं प्रधान सचिव।
2. रजिस्ट्रार, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़।
3. महाधिवक्ता हरियाणा।
4. रोहतक, गुडगांव, हिसार एवं अम्बाला मण्डलों के आयुक्त।
5. हरियाणा राज्य के सभी उपायुक्त।

दिनांक चण्डीगढ़

विषय :- हरियाणा सिक्ख गुरुद्वारा (प्रबन्धक) कमेटी की अधिसूचना 2014 के बारे।

महोदय,

मुझे निर्देश हुआ है कि मैं उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान सरकार द्वारा प्रकाशित की गई हरियाणा सिक्ख गुरुद्वारा (प्रबन्धक) अधिनियम की अधिसूचना 2014 की और दिलाऊ जिस द्वारा यह सूचित किया गया है कि हरियाणा राज्य में सिक्ख गुरुद्वारों की सम्पत्तियों के बेहतर स्वायत्त प्रबन्धन और प्रभावी पर्यवेक्षण और उससे सम्बन्धित मामलों का उपबन्ध करने हेतु अधिनियम बनाए गए हैं। अतः उपरोक्त अधिनियम आपके पास उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित किए जाते हैं।

अधीक्षक, गुरुद्वारा चुनाव आयोग
कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
गृह विभाग।

इसकी एक-एक प्रति मुख्य मंत्री के प्रधान सचिवों/अतिरिक्त प्रधान सचिव/उप प्रधान सचिव/ मुख्य मंत्री के प्रधान विशेष कार्याकारी तथा मंत्रीयों/ राज्य मंत्रीयों एवं मुख्य संसदीय सचिवों के सचिव/निजि सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित है।

अधीक्षक, गुरुद्वारा चुनाव आयोग
कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
गृह विभाग।

सेवा में,

मुख्य मंत्री के प्रधान सचिवों/अतिरिक्त प्रधान सचिव/उप प्रधान सचिव/
मुख्य मंत्री के प्रधान विशेष कार्याकारी तथा मंत्रीयों/ राज्य मंत्रीयों एवं मुख्य
संसदीय सचिवों के सचिव/निजि सचिव।

अशा: कमांक 1/5/2014-3जी0ई0

दिनांक

इसकी एक प्रति निम्न सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1. निदेशक, लोक सम्पर्क विभाग, हरियाणा को इस अधिसूचना को पुर्याप्त प्रचार हेतु ।

अधीक्षक, गुरुद्वारा चुनाव आयोग
कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
गृह विभाग ।

अशा: क्रमांक 1/5/2014-3जी0ई0
पू0 क्रमांक 1/5/2014-3जी0ई0

दिनांक
दिनांक 1 अगस्त 2014

इसकी एक प्रति सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग (एन0आई0सी0) हरियाणा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि इसे इन्टरनेट पर जनहित में डाल दिया जाए।

अधीक्षक, गुरुद्वारा चुनाव आयोग
कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
गृह विभाग